न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुनीय आर्य, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 64/18(223 आर. टी. एक्ट)
जीसीएमएस संख्या 2018/00228

उनवान

1. प्रबन्धक निदेशक जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ज्योती नगर जयपुर।
2. अधिशाषी अभियंता जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड धौलपुर।
3. सहायक अभियंता जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड राजाखेडा जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. श्रीमती शान्ती देवी विधवा मुन्शीलाल सक्सैना
2. गोपाल सक्सैना
3. गोविनद सक्सैना
4. दिनेश कुमार सक्सैना
5. शैलेन्द्र कुमार सक्सैना
6. जीतेनद्र कुमार सक्सैना

पुत्रगण स्व0 मुंशीलाल सक्सैना समस्त जातिगण्ण कायस्थ निवासी ग्राम मरैना तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर।

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजाखेडा।

..... रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा दि0 16.05.2018 प्र.सं. 04/2016 उनवानी शान्ती देवी बनाम सहायक अभियन्ता।

उपस्थित :–

1. श्री नरेन्द्र कुमार वकील अपीलांट।
2. श्री मुकेश कमठान वकील रैस्पो0।

निर्णय दिनांक–19.11.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा के निर्णय दिनांक 16.05.2018 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रैस्पो0 ने एक दावा अंतर्गत धारा 88, 188 व 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम मरैना तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर में स्थित है जो वादी रैस्पो0 की खातेदारी की आराजी है। वादी रैस्पो0 ने विवादित आराजी के कुछ हिस्से का भूमि रूपान्तरण भी करा रखा है। प्रतिवादी अपीलाण्ट का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। परन्तु प्रतिवादी अपीलाण्ट ने वादी रैस्पो0 की आराजी पर जबरन पुख्ता बाउण्ड्री बाल बनाकर कब्जा कर लिया है। अतः वाद प्रस्तुत कर वादी रैस्पो0 की खातेदारी की आराजी से

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

प्रतिवादी अपीलाण्ट को बेदखल करने एवं भविष्य में पुनः अतिक्रमण नहीं करने हेतु पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विरूद्ध होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो राजीनामा के आधार पर दावा डिक्री किया है वह गलत है। क्योंकि प्रकरण में अपीलाण्ट की उपस्थिति ही नहीं रही है। अधीनस्थ न्यायालय ने दावे में कोई साक्ष्य ही नहीं ली एवं ना ही कोई तनकी कायम की गयी। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश लोक अदालत में पारित हुआ है। लोक अदालत में बिना उभयपक्ष की सहमति के निर्णय पारित नहीं हो सकता है। अपीलाधीन आदेश में अतिक्रमण को परिभाषित ही नहीं किया गया है। निर्णय में निस्तारण का अधिकार भी तहसीलदार को दिया गया है। जबकि तहसीलदार स्वयं प्रकरण में पक्षकार मुकदमा थे। विवादित आराजी का अपीलाण्ट को नियमानुसार आवंटन हुआ है एवं विवादित आराजी पर निर्माण भी लगभग 35–40 वर्ष पुराना है। अतः अतिक्रमण का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मियाद के संबंध में उनका निवेदन है कि अपीलाधीन आदेश की नकल समय पर प्राप्त नहीं हुयी। इसलिये अपील प्रस्तुत करने में देरी हुयी। अतः मियाद के बिन्दू को क्षमा करते हुये, अपील अपीलाण्ट नकल मिलने के समय को शुमार करते हुये, अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे हैं। परन्तु उनके द्वारा कोई जवाव दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं जब जवाब दावा ही नहीं दिया तो तनकीयात कैसे कायम होंगी। खसरा नंबर 283 कुल 3 बीघा 01 विस्वा का है। जिसमें से अपीलाण्ट को 02 बीघा 11 विस्वा आवंटन हुआ है। परन्तु अपीलाण्ट ने अपनी आवंटन शुदा जमीन की आड में रैस्पो0 की भूमि पर कब्जा कर लिया है। अपीलाण्ट ने अपील भी मियाद बाहर प्रस्तुत की है एवं अपील प्रस्तुत करने में हुयी देरी का कोई उचित कारण भी अंकित नहीं किये हैं। अपीलाधीन आदेश राजीनामा से तय हुआ है। अतः अपीलाण्ट को अपील करने का अधिकार ही नहीं है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में प्रमुखता से यह आपत्ति जाहिर की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत शिविर में मनमाने तरीके से लोक अदालत की भावना के विपरीत, उनकी अनुपस्थिति में, बिना सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है। हमने पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 16.05.

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

2018 के अवलोकन से जाहिर है कि प्रतिवादी अपीलाण्ट की ओर से उक्त दिनांक को जवाब प्रस्तुत किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण में दावा एवं जवाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम कर एवं उभयपक्ष को साक्ष्य का अवसर देते हुये निर्णय पारित करना चाहिये था, जो नहीं किया गया है। इसके अलावा विधि अनुसार राजस्व लोक अदालत में प्रकरण आपसी सहमति/राजीनामा से ही निर्णित किये जा सकते हैं। परन्तु हस्तगत प्रकरण में पक्षकारो की बीच सहमति/राजीनामा हुआ हो, ऐसा भी दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय राजस्व लोक अदालत की हडबडी में बिना न्यायिक प्रक्रिया पालन किये, जल्दबाजी में पारित किया है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा के निर्णय व डिक्री दिनांक 16.05.2018 अपास्त किये जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान् को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 02.12.2024 को सुनवाई हेतु उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 19.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील आर्य)
आर.ए.एस.
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)